निर्णय 27.8.2024

2024/558

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

होशियारीदास आदि बनाम विष्णु आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 398 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.08.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.08.2024 को पेश हो। [signature]	
28.08.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकलाए फरिकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये वकील श्रवण कुमार उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 27.08.2024 को पेश हो। [signature]	[initials]
27.8.2024	वकलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट तलबज प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली [illegible] कार्यवाही [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 398/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. होशियारीदास पुत्र विष्णु जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. टेक चंद पुत्र विष्णु जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. पूनमचंद पुत्र विष्णु जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. विष्णु पुत्र लेखराम जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादीगण
श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 27-08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 16 एन.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 43/37 के पत्थर नम्बर 134/46(8) किला नम्बर 16, 17, 18, 23/1, 24/1, 25/2 व पत्थर नम्बर 134/54(7) किला नम्बर 12, 13, 18 ता 20, 21/2 ता 24/2, 25/1 की 3.8480 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि, चक नम्बर 19 एन. डब्ल्यु.डी. तहसील रावतसर के खाता संख्या 52/41 के पत्थर नम्बर 114/62(17) किला नम्बर 11/2, 12 ता 19, 20/2 ता 25/2 की 3.5940 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2024 .....को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner